शहर चलो अभियान 2025

(दिनांक 15.09.2025 से 02.10.2025)

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

- **तैयारी शिविर** –दिनांक 01.09.2025 से 14.09.2025 तक – आमजन की समस्या एवं प्रकरणों का चिन्हिकरण।

- **मुख्य अभियान** –दिनांक 15.09.2025 से 02.10.2025 तक – आवेदनों समस्याओं व प्रकरणों का निस्तारण।
  - निकायों में वार्डवार कैम्प आयोजित किया जाकर समस्याओं का निस्तारण किया जावेगा।
  - ऑनलाईन माध्यम से तथा कैम्पों में आवेदन/प्रतिवेदन प्राप्त किये जावेगें।
  - अभियान का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
  - जनप्रतिनिधियों का सहयोग सुझाव प्राप्त किये जायेंगे।
  - शिविर हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किये जायेगें।

- ## शिविरों में किये जाने वाले कार्य :–
  - सम्पूर्ण शहर के साफ–सफाई की व्यवस्था की जावेगी।
  - नई स्ट्रीट लाइटें लगाना एवं बंद पड़ी लाईटों को चालू किया जावेगा।
  - पट्टे, नाम हस्तानान्तरण, भवन मानचित्र आदि जारी किये जावेगें।
  - सड़क मरम्मत/पेच वर्क के प्रस्ताव स्वीकृत कर, मौके पर कार्य किया जावेगा।
  - पार्क, सामुदायिक केन्द्र, रैन–बसेरा आदि सार्वजनिक स्थलों के रख–रखाव का कार्य किया जावेगा। विभिन्न राजकीय जनहित योजनाओं के तहत आवेदन प्राप्त कर, स्वीकृति जारी की जावेगी।
  - प्रत्यके निकाय स्तर पर सद्भावना केन्द्र स्थापित की जावेगी।
  - जन्म मृत्यु/विवाह पंजीयन/फायर एन.ओ.सी./ट्रेड–लाईसेंस/डेयरी बूथ आदि जारी की जावेगी।
  - पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण कर, विकसित किया जावेगा।
  - शहर के प्रमुख चौराहों, डिवाइडरों आदि का रख–रखाव एवं सौन्दर्यकरण किया जावेगा।

शहर चलो अभियान 2025

प्रस्तावित मुख्य छुटे

1. निकाय स्तर पर प्रदत शक्तियां :–

<table>
<tr><td>1.</td><td>ले–आउट प्लान अनुमोदन</td><td colspan="3">समस्त क्षेत्रफल के ले–आउट स्थानीय स्तर पर</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2.</td><td colspan="4">आदेश दिनांक 27.03.2025 के द्वारा स्थानीय स्तर पर 69–ए, एकल पट्टा तथा
उप विभाजन–पुनर्गठन (आवासीय व व्यवयायिक हेतु)</td></tr>
<tr><td>स्थानीय प्राधिकारी</td><td>आवासीय</td><td>गैर आवासीय</td><td>आद्यौगिक</td></tr>
<tr><td>समस्त विकास प्राधिकरण एवं विकास प्राधिकरण मुख्यालय के शहर के नगर निगम/परिषद</td><td>25,000 वर्गमीटर</td><td>10,000 वर्गमीटर</td><td rowspan="3">10,000 वर्गमीटर तक स्थानीय निकास स्तर पर एवं 10,000 वर्गमीटर से अधिक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा</td></tr>
<tr><td>समस्त नगर विकास न्यास एवं नगर विकास न्सास मुख्यालय के शहर के नगर निगम/परिषद</td><td>10,000 वर्गमीटर</td><td>5,000 वर्गमीटर</td></tr>
<tr><td>अन्य समस्त स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा</td><td>5,000 वर्गमीटर</td><td>2,500 वर्गमीटर</td></tr>
</table>

2. दिनांक 31.12.2021 तक योजना में 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण होने पर सोमोटो 90–ए (8) के कार्यवाही पश्चात एवं न्यनूतम सडको की चौडाई 30 फुट तहत के निर्णय पश्चात ले–आउट प्लान 70/30 के अनुपात में स्वीकृत किया जा सकता हैं।

3. टॉउनशिप पॉलिसी के अन्तर्गत खातेदार/विकासकर्ता द्वारा 90–(ख)/90–(क) की कार्यवाही करवाकर स्वीकृत करवाये ही यदि 25 प्रतिशत से अधिक भूखण्डो पर निर्माण हो गय हो तो न्यूनतम 40 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र रखा जाकर बसावट के अनुसार ले–आउट प्लान की छुट प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

4. खाचां भूमि प्रकरणों में 200 वर्गमीटर तक स्थानीय स्तर पर आवंटन की शक्तिया प्रदान की जानी प्रस्तावित है।

5. कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियों मे अपंजीकृत दस्तावेजों पर शास्ति में शत प्रतिशत की छुट।

6. कृषि भूमि पर 31.12.2021 से पूर्व बसी कॉलोनियों में पूर्व मे आवेदन नही करने पर अभियान में आवेदन करने पर अभियान को प्रथम कैम्प मानते हुए ब्याज में शत प्रतिशत छुट।

7. गत अभियान में राशि जमा होने के पश्चात लंबित प्रकरणों के पट्टे जारी किये जाने हेतु आदेश दिनांक 05.08.2025 जारी किया गया है।

8. दिनांक 31.12.2021 से पूर्व व पश्चात की कॉलोनियो में मांग पत्र राशि जमा नही करवाये जाने पर अभियान अवधि में वर्तमान दर पर बिना ब्याज के राशि जमा करवाने की छुट प्रस्तावित है।

शहर चलो अभियान 2025

प्रस्तावित छूटों का विवरण

1. कृषि भूमि के पट्टेः—

				प्रशासन शहरों के संग अभियान—2021			शहर चलो अभियान—2025		
क्र. सं.	प्रयोजन	भूखण्ड क्षेत्रफल	नगरीय निकाय	अभियान से पूर्व दर (प्रति वर्गमीटर)	अभियान में प्रभावशील दर (प्रति वर्गमीटर)	छूट का प्रतिशत	वर्तमान दर (प्रति वर्गमीटर)	प्रस्तावित दर (प्रति वर्गमीटर)	प्रस्तावित छूट का प्रतिशत
1	आवासीय	200 वर्गमीटर तक	नगर निगम	280	100	64%	401	200	50%
			नगर परिषद	200	75	63%	287	150	48%
			नगर पालिका	120	50	58%	172	100	42%
		500 वर्गमीटर तक	नगर निगम	280	100	64%	401	200	50%
			नगर परिषद	200	75	63%	287	150	48%
			नगर पालिका	120	50	58%	172	100	42%
		500 वर्गमीटर से अधिक	नगर निगम	380	200	47%	545	275	50%
			नगर परिषद	280	150	46%	401	200	50%
			नगर पालिका	180	100	44%	258	150	42%
2	व्यवसायिक	300 वर्गमीटर तक	नगर निगम	1100	200	82%	1579	800	49%
			नगर परिषद	740	100	86%	1062	550	48%
			नगर पालिका	460	75	84%	660	350	47%
		300 वर्गमीटर से अधिक	नगर निगम	1470	400	73%	2100	1100	48%
			नगर परिषद	1100	300	73%	1579	800	49%
			नगर पालिका	600	200	70%	861	450	48%
3.	औद्योगिक	प्रथम 5000 वर्गमीटर तक उस क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रिमियम दर एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्रफल पर न्यूनतम आवासीय प्रिमियम दर की 50 प्रतिशत	नगर निगम	200	100	50%	287	150	48%
			नगर परिषद	150	75	50%	215	100	53%
			नगर पालिका	100	50	50%	143	75	48%

2. <u>धारा 69–ए के पट्‍टे :–</u>

क्र. सं.	अभियान से पूर्व राशि	प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021		शहर चलो अभियान–2025		
		अभियान में प्रभावशील राशि	छूट प्रतिशत	वर्तमान में प्रभावशील राशि	प्रस्तावित दर	छूट प्रतिशत
1.	आवेदन शुल्क – 100 रूपये प्रोसेस शुल्क – 200 वर्गगज तक – 250 रूपये 201 से 1000 वर्गगज तक – 1000 रूपये 1001से 10000 वर्गगज तक – 5000 रूपये 10000 वर्गगज से अधिक – 10000 रूपये पट्‍टा शुल्क – 25 रूपये प्रति वर्गगज अधिकतम 2.5 लाख	501 रूपये	96%	200 रूपये प्रति वर्गमीटर	100 रूपये प्रति वर्गमीटर	50 %

3. खाचां भूमि एवं बढी हुई भूमि की राशि में छूट :–

क्र. सं.	विवरण	दर	प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021		शहर चलो अभियान–2025	
			छूट पश्चात् दर	छूट का प्रतिशत	प्रस्तावित दर	छूट का प्रतिशत
1.	निकाय योजना में खाचां भूमि (100 वर्गगज तक)	आरक्षित दर की दुगनी दर	आरक्षित दर (200 वर्गगज तक)	50%	आरक्षित दर (200 वर्गगज तक स्थानीय स्तर पर)	50%

4. लीज में छूट :–

क्र. सं.	विवरण	दर	प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021		शहर चलो अभियान–2025	
			छूट पश्चात् दर	छूट का प्रतिशत	प्रस्तावित दर	छूट का प्रतिशत
1.	बकाया लीज राशि पर ब्याज	12 प्रतिशत ब्याज	ब्याज देय नही	100%	ब्याज देय नही (आदेश दिनांक 28.02.2025)	100%
2.	10/8 वर्ष की अग्रिम लीज	बकाया लीज राशि देय	40% बकाया राशि देय	60%	40% बकाया राशि देय (आदेश दिनांक 10.08.2020)	60%

5. नामान्तरण शुल्क :–

क्र. सं.	अभियान से पूर्व की दरें		प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021			शहर चलो अभियान–2025		
			छूट पश्चात दरें		छूट का प्रतिशत	प्रस्तावित दरें		प्रस्तावित छुट का प्रतिशत
	क्षेत्रफल	दर प्रति वर्गमीटर	क्षेत्रफल	राशि		क्षेत्रफल	राशि	
1.	100 वर्गमीटर तक	10/–	300 वर्गमीटर तक	1000 रूपये	77%	100 वर्गमीटर तक	10/–	छुट प्रस्तावित नही है।
2.	100 से अधिक 300 वर्गमीटर	15/–				100 से अधिक 300 वर्गमीटर	15/–	छुट प्रस्तावित नही है।
3.	300 से अधिक 500 वर्गमीटर	20/–	300 वर्गमीटर से अधिक	4000 रूपये	60%	300 से अधिक 500 वर्गमीटर	20/–	छुट प्रस्तावित नही है।
4.	500 वर्गमीटर से अधिक	25/–				500 वर्गमीटर से अधिक	25/–	छुट प्रस्तावित नही है।

6. राजकीय भूमि पर 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों के नियमन के पट्टे :–

क्र. सं.	अभियान से पूर्व दर	अभियान में प्रभावशील दर	प्रशासन शहरों के संग अभियान– 2021 में छूट का प्रतिशत	शहर चलो अभियान–2025 में छूट का प्रतिशत
1.	आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत	आरक्षित दर अथवा डीएलसी दर जो भी कम हो का 10 प्रतिशत	60%	छुट प्रस्तावित नही है।

7. भू–उपयोग परिवर्तन में छूट :–

क्र. सं.	विवरण	प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021			शहर चलो अभियान–2025		
		पूर्व की दरें	छूट पश्चात् दरें	छूट का प्रतिशत	प्रस्तावित दरें	छूट पश्चात् दरें	प्रस्तावित छुट का प्रतिशत
1.	गैर/व्यवसायिक भू–उपयोग से व्यवसायिक भू–उपयोग परिवर्तन में	आरक्षित दर की 40 प्रतिशत जहां निर्धारित नही है वहां आवासीय दर का 20 प्रतिशत	आरक्षित दर की 20 प्रतिशत जहां निर्धारित नही है वहां आवासीय दर का 10 प्रतिशत	50%	आरक्षित दर की 40 प्रतिशत जहां निर्धारित नही है वहां आवासीय दर का 20 प्रतिशत	आरक्षित दर की 20 प्रतिशत जहां निर्धारित नही है वहां आवासीय दर का 10 प्रतिशत	50%
2.	निर्धारित भू–उपयोग से भिन्न भू–उपयोग परिवर्तन में	आरक्षित दर की 20 प्रतिशत जहां	आरक्षित दर की 10 प्रतिशत जहां	50%	आरक्षित दर की 20	आरक्षित दर की 10	50%

	(व्यवसायिक को छोडकर)	निर्धारित नही है वहां आवासीय डीएलसी दर का 10 प्रतिशत	निर्धारित नही है वहां आवासीय डीएलसी दर का 5 प्रतिशत		प्रतिशत जहां निर्धारित नही है वहां आवासीय डीएलसी दर का 10 प्रतिशत	प्रतिशत जहां निर्धारित नही है वहां आवासीय डीएलसी दर का 5 प्रतिशत	

8. उप–विभाजन/पुर्नगठन में छूट :–

क्र. सं.	विवरण	प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021				शहर चलो अभियान–2025		
		पूर्व की दरें		छूट पश्चात् दरें	छूट का प्रतिशत	प्रस्तावित दरें	छूट पश्चात् दरें	प्रस्तावित छुट का प्रतिशत
		भू–उपयोग	दर प्रति वर्गमीटर	दर प्रति वर्गमीटर				
1.	उप–विभाजन पुर्नग्रहण शुल्क	आवासीय	75/– अधिकतम 35 लाख	25/– अधिकतम 15 लाख	75%	75/– अधिकतम 35 लाख	50/– अधिकतम 20 लाख	34%
		औद्योगिक	50/– अधिकतम 20 लाख	25/– अधिकतम 15 लाख	50%	50/– अधिकतम 20 लाख	25/– अधिकतम 20 लाख	50%
2.	पट्टे से पूर्व ले–आउट में उप विभाजन/पुर्नगठन	75/–		10/–	87%	75/–		छुट प्रस्तावित नही है।

9. **बाह्य विकास शुल्क/आन्तरिक विकास शुल्क** :– (दिनांक 31.03.19 तक स्वीकृत योजनाओं में 500 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों हेतु)

		प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021			शहर चलो अभियान–2025
क्र. सं.	विवरण	पूर्व की दरें	छूट पश्चात	छूट का प्रतिशत	छूट प्रस्तावित
1.	टाउनशीप पॉलिसी 2010– बाह्य विकास शुल्क	नगर पालिका–100/– नगर परिषद–150/– नगर निगम–200/–	देय नही	100%	कोई छुट प्रस्तावित नही है।
	टाउनशीप पॉलिसी 2024– शहरी आधारभूत विकास शुल्क (CIDC)	1 लाख आबादी तक –200/– 1 लाख से 5 लाख आबादी तक –300/– 5 लाख आबादी से अधिक –350/–			
2.	आन्तरिक विकास शुल्क/ सीवरेज चार्ज	निकायों द्वारा निर्धारित 140/– से 789/– तक दिनांक 31.03.19 से पूर्व की बसी हुई कॉलोनियों में आन्तरिक विकास शुल्क	देय नही	100%	कोई छुट प्रस्तावित नही है।

10. **<u>बी.एस.यू.पी. शुल्क में शुल्क</u>** :–

			प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021		शहर चलो अभियान–2025	
क्र. सं.	विवरण	पूर्व की दरें	छूट पश्चात्	छूट का प्रतिशत	छूट पश्चात्	छूट का प्रतिशत
1.	बी.एस.यू.पी. शुल्क बी.एस.यू.पी. शुल्क शहरी गरीब लोगों के क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं विकसित करने के लिए लागू किया गया हैं।	प्रत्येक प्रकरण में 25/– प्रति वर्गमीटर	कृषि भूमि के प्रकरणों में देय नही हैं एवं जिस प्रकरण में प्रथम बार देय उसी प्रकरण में अन्य कार्यवाही पर देय नही।	100%	कोई छुट प्रस्तावित नही है।	

धन्यवाद